निगरानी/टीए/3421/2006/जयपुर
लक्ष्मीनारायण बनाम जगदीश नारायण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ श्री सूरज भान जैमन, सदस्य उपस्थितः– (1) श्री हेमन्त सोगानी अधिवक्ता प्रार्थीगण (2) श्री भिंयाराम चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण निर्णय दिनांक 29 –8–18 यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–4–2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2 निगरानी के संक्षिप्त तथ्यों अनुसार वादी जगदीशनारायण ने एक वाद घोषणा व निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रार्थी/प्रतिवादीगण पेश किया। वाद में प्रतिवादीगण ने अपना वादेत्तर दिनांक 26–3–05 को पेश किया । इसके बाद एक संशोधन प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी दिनांक 30–11–05 को पेश किया जिसका वादी ने जबाव दिनांक 27–2–06 को पेश किया। इसके उपरांत विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर ने अपने आदेश दिनाक 24–4–06 को वादोत्तर में संशोधन कराने का प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया । जिसके विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। 3– निगरानी पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया। उभयपक्ष की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया तो हम यह पाते है कि वादी द्वारा दिनांक 5–9–05 को वाद पेश किया था। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 26–10–2005 को जबादाव ापेश किया गया था। इसके बाद दिनांक 30–11–05 को प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का जबावदावे को संशोधित करने के लिए पेश किया गया। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने इस प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का जबाव वादीगण द्वारा दिनांक 27–2–06 को प्रस्तुत किया गया जबाव में वादीगण ने	

निगरानी/टीए/3421/2006/जयपुर
लक्ष्मीनारायण बनाम जगदीश नारायण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यह आक्षेप लिया कि प्रतिवादीगण के मूल जबावदाव के दो पेज हैं तथा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के 7 पेज है। इस प्रकार वादीगण इस पूर्व प्रस्तुत जबावदावा को नये सिरे से संशोधित कराना चाहते है और पूर्व में की गयी स्वीकारोक्ति को वापिस लेना चाहते है और इससे दावे की प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। इसलिए यह संशोधन नही है बल्कि नवीन जबावदावा है। 4— अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने अपने प्रासांगिक निर्णय में वादीगण के उक्त कथनो से सहमत होना अंकित करते हुए प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी को निरस्त किया है जबकि वादीगण ने दावा के मद नम्बर एक में सजरा पेश किया था और प्रतिवादीगण ने जबावदाव के मद नम्बर एक में इस वादीगण के सजरे को अस्वीकार किया था और प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के विशेष कथनों की मद संख्या एक में स्वय की ओर से सजरा पेश किया है जिसमें कोई नवीनता नही है क्योकि वादी के सजरे को तो पूर्व में ही अस्वीकार कर दिया था । मद नम्बर दो वाद पत्र में वादी ने विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा होने का कथन किया है। प्रतवादी ने अपने जबावदावे के मद नंबर दो में इसे अस्वीकार किया है और प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के विशेष कथन के मद संख्या 2 में भी विवादित आराजी के 1/2 भाग को अस्वीकार किया है। वाद की मद मद नम्बर 3 में यह आक्षेप लिया है कि गोपाल तांत्रिक विद्या के सहारे गुमान के वंश को समाप्त करना चाहता था तथा गुमान का 1/2 हिस्सा बताये जाने का कथन किया है जिसे प्रतिवादी ने अपने जबावदावे में पूर्णतः अस्वीकार किया है और प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के मद नंबर 3 में भी पूर्व के जबावदावे के कथनो को दोहराया है। वाद के मद नम्बर में वादीगण ने प्रतिवादी पर यह आरोप लगाया है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी ने दर्ज नही होने दिया। प्रतिदावा के मद नम्बर 4 में इन तथ्यों को प्रतिवादी ने अस्वीकार किया	

निगरानी/टीए/3421/2006/जयपुर
लक्ष्मीनारायण बनाम जगदीश नारायण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है और प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के विशेष कथनों के मद संख्या 4 में भी इन तथ्यों को पूर्व की भॉति अस्वीकार किया है। दावा के मद संख्या 5 में वादीगण ने 1/2 हिस्से की भूमि को वादी के श्रीकिशनपुरा गॉव वाले रिश्तेदार काश्त करते रहे और जो भी उपज होती वह वादी व उसकी माताजी की तरफ से प्राप्त करते रहे जिसे प्रतिवादी ने इंकार किया है और प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के मद नम्बर 5 में भी इसी प्रकार की इंकारी की गयी है। वादी ने दावा के मद संख्या 6 में वादीगण के हिस्से की भूमि को श्रीकिशनपुरा वाले वादी के रिश्तेदारों से ही विवाद होना सं0 2012 में आरटीए के प्रभाव में आने के समय प्रतिवादी ने गोपाल द्वारा वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने देने का आक्षेप लिया है। प्रतिवादी ने उक्त मद में अंकित तथ्यों से इंकार किया है और इस प्रंकार की इंकारी प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के मद नम्बर 6 में भी दी गयी है। वादीगण ने मद नं0 7 में यह अंकित किया है कि वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरुद्ध लडाई झगडा करने वाला कोई व्यक्ति नही था वे कमजोर थे। जबकि प्रतिवादीगण ने जबावदावा के मद नंबर 7 में उक्त तथ्यों को अस्वीकार किया है। इस मद बावत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के विशेष कथनों में कोई संशोधन करना नही चाहते। वादीगण ने दावा के मद नम्बर 8में विवादित खसरा नम्बरों का विवेचन किया है और वादी व प्रतिवादीगण के खानदानी सयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति में 1/2 हिस्सा बताया है। जबकि प्रतिवादीगण की ओर से भूमि वादी की पैतृक होने से इंकार किया है और वादी का कब्जा होने से भी इंकार किया है। प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के मद नम्बर 7 में यह इंकार किया है कि प्रतिवादीगण 1/2 हिस्सा लेने के अधिकारी नहीं है। वादी ने वाद के मद नंबर 9 में भूमि के आपसी सहमति से रिकार्ड में नाम दर्ज कराने का उल्लेख किया है जिसे प्रतिवादीगण ने जबावदावा के मद	

निगरानी/टीए/3421/2006/जयपुर
लक्ष्मीनारायण बनाम जगदीश नारायण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संख्या 9 में अस्वीकार किया है और प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के मद नंबर 9के जबावदावा में कोई संशोधन नही चाहा गया है। दावा के मद नंबर 10 में 1/2 हिस्सा भूमि बावत अभिवचन लिया है साथ ही वादीगण ने प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा हमेशा के लिए पांबद कराने की इश्तदुआ की गयी है जबकि प्रतिवादी ने जबावदावा के मद 10 को अस्वीकार किया है। 5— प्रतिवादीगण के जबाव दावा के मद नंबर 9 में दावे की मद नंबर 9 से 12 और 14 से 16 को अस्वीकार करते हुए मनगढत होना अंकित करते हुए यह विवरण दिया है कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादीगण द्वारा एक झूठा दावा भी पेश किया गया था इसी प्रकार जबावदावा के मद नमबर 10 में वादी के दावे की मद नंबर 17 व 18 को भी इंकार किया गया है और प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के मद नम्बर 10से 13 में संशोधित विवरण अंकित किये गये है जो कि किसी भी प्रकार की पूर्व की इंकारियों के विपरीत कथन नही है। 6— उक्त विवरण से वादी के वाद पत्र व प्रतिवादीगण के प्रतिवाद पत्र एवं आदेश 6 नियम 17सीपीसी प्रार्थनापत्र के तुलनात्मक विवेचन से यह जाहिर है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबावदावा दिनांक 26—10—2005 में कोई स्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के संशोधन से इंकार नही किया जाना पाया गया है । बल्कि सजरा , विनाय दावा ,भाटावाला व श्री किशनपुरा में रहना जो दावे में व्यक्त किये है, से सम्बन्धित कोई स्वीकारोक्ति प्रतिवादीगण की नही है और नही ऐसा संशोधन आदेश 6 नियम 17 सीपीसी से चाहा है। इस प्रकार प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी में चाहे गये संशोधन मूल प्रतिवाद पत्र के कथनो से भिन्न और नवीन नही है। इसलिए वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के जबाव दिनांक 27—6—2006 में लिये गये अभिवचन वास्तविक होना नही पाया जाता है।	

निगरानी / टीए / 3421 / 2006 / जयपुर
लक्ष्मीनारायण बनाम जगदीश नारायण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	7— उक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नोनस्पीकिंग व नोन रीजेन्ड है। द्वितीयतः यह स्पष्ट है कि आदेश 6 नियम 17 सीपीसी में दिये गये प्रावधानो के अनुसार प्रतिवादीगण को उसके जबावदावे दिनांक 26—10—2005 में संशोधन करवाने का उनके द्वारा प्रस्तावित सीमा तक अधिकार है कि मूल वाद की प्रकृति में कोई भिन्नता नही आती है और यह स्पष्ट है कि दावा प्रस्तुत होने के कुछ समय वाद ही प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश हुआ है इसलिए परिस्थितियों में बदलाव और कोई नयी साक्ष्य उत्पन्न करने का मामला नही बनता है। बल्कि यह एक ऐसा संशोधन है जिसे वाद बिन्दु कायम होने व प्रकरण के परीक्षण में सुगमता और सरलता होगी। परिणामस्वरुप हस्तगत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है। 8— अतः निगरानी स्वीकार कि जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24—4—2006 निरस्त किया जाकर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सूरज भान जैमन) सदस्य	

निगरानी / टीए / 3421 / 2006 / जयपुर
लक्ष्मीनारायण बनाम जगदीश नारायण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए